OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), BIHAR (LOCAL AUDIT WING), PATNA –800 001

No. L.A.Sur/ 794 **Dated: -** 4/05/09

To,

The Principal Secretary to the Government of Bihar,
Urban Development and Housing Department,
Patna.

Sir,

Audit Report No.- **24/2009-10** on the accounts of **Nagar Panchayat, Nabinagar** for the period **2005-06 to 2007-08** is enclosed for your kind information and necessary action.

Yours faithfully

Encl: -As above

Sr. Audit Officer/Surcharge
Local Audit Wing, Bihar, Patna

Forwading - Report sent to local offices

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0–24 वर्ष 2009–10
नगर पंचायत नबीनगर (औरंगाबाद)

प्रस्तावना

नबीनगर (औरंगाबाद) नगर पंचायत के वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक के लेखाओं की नमूना जाँच प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना के एक लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 02.03.09 से 28.03.09 तक की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

	कार्यपालक पदाधिकारी	अवधि
1	श्री अशोक कुमार पाल	01.04.05 से 20.04.05
2	श्री मनमोहन प्रसाद	21.04.05 से 12.03.06
3	श्री सत्येन्द्र कुमार	13.03.06 से 30.07.06
4	श्री रणजीत कुमार	31.07.06 से 25.04.07
5	श्री कमलेश सिंह	21.04.07 से 31.03.08

	अध्यक्ष	अवधि
1	श्रीमती लाती देवी	01.04.05 से 08.06.07
2	श्री अजय कुमार सिन्हा	09.06.07 से 31.0308

	उपाध्यक्ष	अवधि
(01.04.05 से 08.06.07 तक चुनाव नहीं)		
1	श्री राजेश्वर प्रसाद	09.06.07 से 31.03.08

385

3. **लेखा परीक्षा का क्षेत्र**

अंकेक्षण में जाँच किये गये अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–I में तथा अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किये गये अथवा असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–II में दी गयी है।

4. **पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन**

लेखा परीक्षा के दौरान पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (प्रथम एवं अंतिम प्रतिवेदन) में लंबित कंडिकाओं में से कुछ कंडिकाओं का अनुपालन अंकेक्षण में उपस्थापित किया गया।

5. **प्रमुख अंकेक्षण उपलब्धियाँ**

कम सं0	कंडिका सं0	विवरण
1	20	मोबाइल टावर शुल्क की वसूली नहीं (रू0 3,20,000.00)
2	22	बारहवीं वित्त की अनुदान राशि का विचलन (रू0 1,92,000)
3	23 (क)	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार की अनुदान राशि का विचलन (रू0 1,12,021.00)
4	24	– तदैव – (रू0 75,000.00)
5	29	हस्त रसीद पर भुगतान (रू0 47,241.00)
6	26(क)	सीमेंट की खरीद दरों में अंतर के कारण अधिक भुगतान (रू0 36,900.00)
7	32	अधिभार द्वारा वसूली हेतु (कालअवरूद्ध अग्रिम) प्रस्तावित राशि रू0 27,500.00

6. अधिदृश्य

नगर पंचायत नबीनगर राज्य सरकार के अनुदान एवं ऋण तथा स्वयं के आय श्रोतों से वित्त सम्पोषित होती है। वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक का वार्षिक आय–व्यय लेखा नगर पंचायत के द्वारा तैयार नहीं किया गया जिसके कारण वास्तविक आय–व्यय की स्थिति का पता नहीं चल सका। नगर पंचायत द्वारा सामान्य रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया था। प्रत्येक निधियों/मदों हेतु अलग–अलग रोकड़ बहियों का संधारण किया गया था। विभिन्न रोकड़ बहियों के अनुसार आय–व्यय का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है:–

(क) राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम

	2005–06	2006–07	2007–08
अथशेष	1,03,828.00	2,62,828.00	62,828.00
वर्ष की प्राप्ति	6,66,000.00	शून्य	शून्य
कुल प्राप्ति	7,69,828.00	26,2828.00	62,828.00
वर्ष का व्यय	5,07,000.00	2,00000.00	55,983.00
अंतशेष	2,62,828.00	62,828.00	6845.00

(ख) एकादश वित्त

	2005–06	2006–07	2007–08
अथशेष	1,91,490.00	37,790.00	37790.00

32

वर्ष की प्राप्ति	शून्य	शून्य	शून्य
कुल प्राप्ति	1,91,490.00	37,790.00	37790.00
वर्ष का व्यय	1,53,700.00	शून्य	6,900.00
अंतशेष	37,790.00	37,790.00	30,890.00

(ग) बारहवीं वित्त

	2005–06	**2006–07**	**2007–08**
अथशेष	शून्य	2,58,072	5,00820.00
वर्ष की प्राप्ति	7,72,572.00	3,02,357.00	9,55,573.00
कुल प्राप्ति	7,72,572.00	5,60,429.00	14,56,393.00
वर्ष का व्यय	5,14,500.00	59,609.00	6,25,028.00
अंतशेष	2,58,072.00	5,00820.00	8,31,365.00

(घ) सहाय्य अनुदान (पथों के निर्माण जीर्णोद्धार हेतु)

	2005–06	**2006–07**	**2007–08**
अथशेष	शून्य	शून्य	24,62,602.77
वर्ष की प्राप्ति	शून्य	40,32,602.77	43,176.17

कुल प्राप्ति	शून्य	40,32,602.77	25,05,778.94
वर्ष का व्यय	शून्य	15,70,000.00	14,81,547.00
अंतशेष	शून्य	24,62,602.77	10,24,231.94

(ड.) नगर पंचायत निधि

	2005–06	2006–07	2007–08
अथशेष	4,39,752.75	4,59,327.75	5,22,074.75
वर्ष की प्राप्ति	2,23,891.00	2,44,709.00	5,81,078.00
कुल प्राप्ति	6,63,643.75	70,4036.75	11,03,152.75
वर्ष का व्यय	2,04,316.00	1,81,962.00	8,85,093.75
अंतशेष	4,59,327.75	5,22,074.75	2,18,059.00

(च) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

	2005–06	2006–07	2007–08
अथशेष	5,61,282.43	5,31,204.27	12,74,789.55

30

वर्ष की प्राप्ति	1,99,939.84	8,41,614.28	32,511.61
कुल प्राप्ति	7,61,222.27	13,72,818.55	13,07,301.16
वर्ष का व्यय	2,30,018.00	98,029.00	5,01,670.00
अंतशेष	5,31,204.27	12,74,789.55	8,05,631.16

अंकेक्षण टिप्पणी

(क) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, एकादश वित्त, बारहवीं वित्त एवं रा०गं०ब०वि०का० हेतु सम्मिलित बैंक खाता पाया गया, परंतु बैंक द्वारा प्रदत्त ब्याज की संपूर्ण प्रविष्टि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की रोकड़ बही में दर्ज की गयी थी। ब्याज की प्रशिष्ट अनुदानों की जमा राशि के वास्तविक अनुपात में की जानी चाहिए थी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के रोकड़ बही में प्राप्ति पक्ष में प्राप्त ब्याज के अतिरिक्त डी०पी०आर० हेतु रू० 25,000.00 की प्राप्ति की प्रविष्टि दर्ज थी।

(ख) रा०गं०ब०वि० कार्यक्रम एवं एकादश वित्त के अंतर्गत दिनांक 31.03.2008 को अवशेष राशियों क्रमशः रू० 6845/– एवं रू० 30,890.00 को स्वीकृति दाता पदाधिकारी को वापस कर दिया जाय।

(ग) नगर पंचायत कर्मियों का अंकेक्षण की तिथि (मार्च 2009) तक माह अगस्त, 2006 तक का वेतन भुगतान हुआ था। इस प्रकार, नगर पंचायत के स्वयं के श्रोतों से आय उसके स्थापना एवं कार्यालय व्यय को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं थे।

7. रोकड़ बही की त्रुटियॉ

नगर पंयायत नबीनगर द्वारा नगर पंचायत निधि के रोकड़ बही के अतिरिक्त एकादश वित्त, बारहवी वित्त, रा०गं०ब० विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एवं सहाय्य अनुदान हेतु अलग–अलग रोकड़ बहियों का संधारण किया गया था। इन रोकड़ बहियों का संधारण किया गया था। इन रोकड़ बहियों का संधारण

निर्धारित प्रपत्र में नहीं किया गया था। रोकड़ बहियों के संधारण में निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गयीः–

(1)	रोकड़ बही मासिक आधार पर बन्द नहीं किया गया था।
(2)	वर्षान्त में आय एवं व्यय का संक्षिप्त विवरण तैयार नहीं किया गया था।
(3)	प्राप्तियों एवं व्यय का मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया था।
(4)	रोकड़ बहियों के आय–व्यय शीर्ष का वर्गीकरण नहीं किया गया था।
(5)	रोकड़ बहियों के शेष का बैंक समाधान नहीं किया गया था।
(6)	भुगतानों की कई प्रविष्टियों के विरूद्ध प्रमाणक सं0 एवं चेक सं दर्ज नहीं थे।
(7)	रोकड़ बहियों के अन्तशेष का विश्लेषण नहीं किया गया था।

8. अन्तशेष एवं समाधान विवरणी

विभिन्न रोकड़ पंजी एवं उससे संबंधित बैंक पासबुक का दिनांक 31.03.08 का अन्तशेष का विश्लेषण इस प्रकार थाः–

कम सं0	रोकड़ पंजी का नाम	रोकड़ पंजी के अनुसार अंतशेष (31.03.08) रू0	बैंक पासबुक न0 एवं नाम	बैंक पासबुक का अंतशेष (31.03.08) रू0	अन्तर
1	रा0गं0ब0वि0कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती श0रो0यो0 एकादश वित्त एवं बारहवीं वित्त	16,74,731.16	भा0स्टे0 बैंक नबीनगर, खाता सं0 01190006629	17,04,643.86	29912.70
2	सहाय्य अनुदान (पथों का निर्माण/जीर्णोद्धार)	10,24,231.74	भा0स्टे0 बैंक नबीनगर, खाता सं0 01190016366	1046050.14	21,818.20
3	नगर पंचायत निधि	2,18,059.00	भारतीय स्टेट बैंक नबीनगर, खाता सं0 11753282088	1,59,250.00	58,809.00

रोकड़ बहियों के अन्तशेष का विश्लेषण तथा समाधान विवरणी, रोकड़ बहियों में दर्ज नहीं थे। समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

समाधान विवरणी,(सहाय्य अनुदान रोकड़ बही)	
दिनांक 31.03.08 को रोकड़ बही का अवशेष	रू0 10,24,231.94
जोड़ बैंक द्वारा प्रदत ब्याज जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में 31.03.08 तक नहीं की गई	रू0 21,818.20
योग–	रू0 10,46,050.14
बैंक खाता सं0 011900016366 का अवशेष रू0	10,46,050.14 समाधित

9. वार्षिक वित्त विवरण (बजट)

वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक नगर पंचायत नबीनगर द्वारा बजट तैयार नहीं किया गया था, इस प्रकार, इस अवधि में कुल रू0 72,75,355.75 का अप्राधिकृत व्यय किया गया।

भविष्य में निश्चित रूप से बजट तैयार किया जाय।

10. आन्तरिक लेखा परीक्षा

बिहार नगर पालिका अधिनियम, 1922 अथवा उसके अन्तर्गत नियमों में आन्तरिक लेखा परीक्षा का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया हैं। बिहार नगर पालिका लेखा नियम, 1928 के नियम 20,64 तथा 66 में यह व्यवस्था की गई है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कार्यपालक पदाधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा नियमित रूप से आय एवं व्यय संबंधी अभिलेखों की जाँच की जायगी। परन्तु नगर पंचायत के अभिलेखों जाँच के क्रम में पाया गया कि किसी भी स्तर पर कोई आन्तरिक जाँच नहीं की गई थी।

अतः नगर पंचायत के प्राधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट कराते हुए यह सुझाव दिया जाता है कि नियमित रूप से आन्तरिक जाँच की व्यवस्था की जाय ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावनाओं को दूर किया जा सके।

11. सरकारी अनुदान

अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था, जिसके अभाव में पूर्व वर्ष की अव्ययित अनुदान, वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान, अनुदान का व्यय एवं वर्षान्त में अव्ययित अनुदान राशि की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल सका। फिर भी, रोकड़ बहियों की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2005–06 से वर्ष 2007–08 तक नगर पंचायत, नबीनगर को कुल रू0 76,34,508.00 की अनुदान राशि प्राप्त हुई थी।
(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– III पर)

अनुदान पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय। विभिन्न अनुदानों से संबद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक जॉच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

12. सरकारी ऋण

ऋण पंजी का संधारण नहीं किया गया था जिससे दिनांक 31.03.08 तक कुल भुगतेय ऋण (सूद सहित) की राशि ज्ञात नहीं की जा सकी। फिर भी, रोकड़ बहियों की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक नगर पंचायत को किसी प्रकार के ऋण की प्राप्ति नहीं हुई थी। वर्ष 2005–06 के पहले प्राप्त ऋण से संबंधित ऋण एवं विनियोग पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

13. मॉंग एवु वसूली (मुख्य कर)

नगर पंचायत द्वारा प्रथम एवं अंतिम बार वर्ष 1987–88 में मुख्य करों (गृहकर, शिक्षा, एवं स्वास्थ्य उपकर) का निर्धारण किया गया था। प्रत्येक पॉंच वर्ष पर करों का पुनरीक्षण नहीं किया गया था। नगर पंचायत द्वारा मॉंग पंजी का संधारण किया गया था परंतु मॉंग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था, जिससे दिनांक 01.04. 2005 को बकाया करों का प्रारंभिक अवशेष एवं वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक करों की वास्तविक वसूली एवं दिनांक 31.03.08 को बकाया करों की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल सका। वर्ष 1987–88 (प्रथम कर निर्धारण) के पश्चात् मार्च 2009 तक एक भी नये मकान के कर मूल्यांकन से संबद्ध प्रविष्टि मॉंग पंजी में दर्ज नहीं थी। वर्ष

27

2005–06 से 2007–08 तक नक्शा स्वीकृति पंजी के अनुसार नगर पंचायत द्वारा कुल 31 मकानों के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की गई थी। परंतु इनमें से एक भी मकान का कर निर्धारण मार्च 2009 तक नहीं किया गया था। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर नगर पंचायत द्वारा मुख्य करों की वसूली में वित्तीय अनियमितता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

आगे यह पाया गया कि मकान करों के 40 प्रतिशत राशि शिक्षा उपरकर के रूप में वसूली गयी जो कम है। मकान करों के 50 प्रतिशत की राशि शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर के रूप में अलग–अलग वसूली जानी चाहिए। इस प्रकार, मुख्य करों की वसूली एवं प्रत्येक पॉंच वर्ष पर करों के पुनरीक्षण के मामले में नगर पंचायत की उदासीनता को दर्शाता है।

14. कम जमा

फॉर्म 'एच' रसीदों की दैनिक वसूली पंजी से जॉंच के क्रम में पाया गया कि वसली गई राशि के कुल रू0 1856.00 का दैनिक वसूली पंजी में कम जमा दिखलाया गया था। विवरण निम्नवत् है:–

क्रम सं0	फॉर्म 'एच' रसीद सं0	वसूली तिथि	वसूली गई राशि (रू0)	दैनिक वसूल पंजी में दर्ज राशि	कम जमा	वसूल कर्त्ता का नाम
1	255	17.01.07	1925.00	925.00	1000.00	श्री सत्येन्द्र प्रसाद सिंह टैक्स दारोगा
2	291	24.04.07	951.00	95.00	856.00	– तदैव–
				कुल–	**1856.00**	

इस संबंध में आपत्ति किये जाने पर अंकेक्षण के दौरान श्री सत्येन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा दिनांक 20.03.09 को विविध रसीद सं0– 89 के माध्यम से कुल रू0 1856.00 को नगर पंचायत निधि में जमा कर दिया गया। परन्तु संबंधित बैंक पासबुक में इसकी प्रविष्टि नहीं देखी जा सकी। इसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

15. कम जमा

फार्म 'एच' रसीदों से वसूली के नमूना जॉच में पाया गया कि वसूली गई राशियों को प्रथमतः दैनिक वसूली पंजी में दर्ज किया गया था एवं बीच बीच में वसूली गई राशियों के लगभग राशि का विविध रसीद के माध्यम से नगर पंचायत निधि में जमा किया गया था। दिनांक 09.06.05 से 20.02.09 तक दैनिक वसूली पंजी में दर्ज राशियों का कुल जोड़ 5,88,953.00 रू0 तथा उसके विरूद्ध विविध रसीदों के माध्यम से जमा राशियों के कुल जोड़ रू0 5,88,132.00 में कुल रू0 821.00 का अंतर पाया गया। अर्थात् कुल रू0 821.00 का नगर पंचायत निधि में कम जमा किया गया था।

इस संबंध में आपत्ति किये जाने पर श्री सत्येन्द्र प्रसाद सिंह, टैक्स दारोगा द्वारा अंकेक्षण के दौरान विविध रसीद सं0– 90 दिनांक 20.03.09 के माध्यम से कुल रू0 821.00 को नगर पंचायत निधि में जमा कर दिया गया। परन्तु बैंक पास में इसकी प्रविष्टि नहीं देखी जा सकी। इसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

16. रसीद बुक (खुदरा टौल) की अप्रस्तुती

खुदरा टौल (अस्थायी दुकानदार) वसूली से संबंधित रसीदों के नमूना जॉंच के कम में पाया गया कि निम्नलिखित रसीद भंडार पंजी से श्री सुदेश मेहता, कार्यालय आदेशपाल को निर्गत किया गया था। परंतु, श्री मेहता द्वारा न तो उपयोग किए गए रसीद एवं दैनिक वसूली पंजी न ही खाली (अप्रयुक्त) रसीद बुकों को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया । विवरण निम्नवत् हैः–

कम सं0	खुदरा टौल रसीद सं0	निर्गत तिथि	भंडार पंजी पृष्ठ सं0
1	10,001 से 10,400	23/7/05	5

इस प्रकार, उक्त रसीदों 10,001 से 10,400 के माध्यम से की गयी वसूली की वास्तविकता की जॉंच नहीं की जा सकी। अप्रस्तुत रसीदों को आवश्यक जॉंच हेतु अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

17. नगर पंचायत द्वारा वृत्ति कर (पेशा कर) का आरोपण नहीं

बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 की धारा– 127 के अन्तर्गत नगर पंचायत को अपने क्षेत्र के अन्तर्गत वृतियों पर वृति कर लगाया जाना है। परन्तु नगर पंचायत द्वारा अपने स्थापना काल से अब तक वृत्ति कर नहीं लगाया गया है।

अतः नगर पंचायत नबीनगर से अनुरोध है कि प्रावधान के अनुसार वृतियों पर कर लगाया जाय, जिससे नगर परिषद की आय में वृद्धि हो सके।

18. संतापकारी एवं खरनाक व्यवसाय

नगर पंचायत नबीनगर द्वारा संतापकारी एवं खतरनाक व्यवसाय पर लगाये जाने वाले को आरोपित नहीं किया गया था, जिससे नगर पंचायत एक बड़ी आय के श्रोत से वंचित रह गया। इन करों की वसूली प्रारंभ की जाए, जिससे नगर पंचायत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके।

19. शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि सरकारी कोष में जमा नहीं

बिहार प्रशासनिक शिक्षा उपकर अधिनियम, 1959 एवं बिहार स्वास्थ्य उपकर नियमावली, 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की वसूली गयी राशियों के 10 प्रतिशत वसूली खर्च काटकर, उपकरों के शेष राशि को सरकार के संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा कर देनी चाहिए थी, परन्तु नगर पंचायत नबीनगर द्वारा राशि जमा नहीं किया गया। मॉंग एवं वसूली पंजी क संधारण नहीं किया गया। तथा दैनिक वसूली पंजी में मकान कर, शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की वसूली गई राशि को अलग–अलग दर्ज नहीं किया गया था, इस कारण लेखा परीखा वर्षान्तर्गत वसूली गई शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि की वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी। अतः अनुरोध है कि उक्त अभिलेखों का सही संधारण कर वर्णित प्रावधानानुसार शिक्षा एवं

25

स्वास्थ्य उपकर की राशि को राज्य सरकार के संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा किया जाय।

20. मोबाईल टावर से संबंधित शुल्क की वसूली नहीं

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5245 दिनांक 26.11.07 तथा पत्रांक 1045 दिनांक 04.03.08 के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित मोबाईल टावर से संबंधित शुल्क संबंधित कंपनियों से निर्धारित दर 2000.00 रू0 प्रति मीटर प्रति वर्ष वसूलनीय हैं।

नगर पंचायत, नबीनगर द्वारा इससे संबंधित कोई माँग पंजी क संधारण नहीं किया गया था। संचिका के अवलोकन के पश्चात यह पाया गया कि वर्ष 07–08 तक नगर पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत कुल चार मोबाइल टावर स्थापित थे जिनके विरूद्ध कुल बकाया राशि 3,20,000.00 रू0 था जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार था:–

कम सं0	कंपनी का नाम	टावरों की सं0	टावर की उँचाई	कुल माँग 31.03.08 तक	अभियुक्ति
1	टाटा इन्डिकॉम लिमिटेड	01	50 मी0	1,00,000.00	दि0 12.01.09 को जमा
2	एयर टेल	02	40 मी0	1,60,000.00	
3	रिलाइन्स इन्फोकॉम लिमिटेड	01	80 मी0	1,60,000.00	
			कुल–	**4,20,000.00**	

टाटा इन्डिकॉम लिमिटेड द्वारा 1,00,000.00 रूपया ड्राफ्ट सं0 163304 दिनांक 12.01.09 (रोकड़ बही पृष्ट संख्या 28) द्वारा भुगतान किया गया था तथ जमा का पे–इन– स्लिप रोकड़ बही में सटा हुआ था। बैंक स्टेटमेंट अद्यतन नहीं रहने के कारण इसका जमा नहीं देखा जा सका। इसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

मोबाईल टावर शुल्क 3,20,000.00 रू0 की वसूली संबंधित कंपनियों से की जाय तथा नगर पंचायत निधि में जमा कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

21. **(क) बन्दोबस्ती राशि का कम जमा**

वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक की अवधि का बन्दोबस्ती पंजी तथा संचिकाओं के अवलोकन से यह पाया गया कि बन्दोवस्ती धारक से कुल 2,265.00 रू0 की वसूली कम की गई जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है:–

क्रम सं0	शैरातों का नाम	वर्ष	बन्दोवस्ती की राशि	वसूली की राशि	विविध रशीद सं0/दिनांक	कम वसूली	बन्दोबस्ती धारक का नाम
1	कॉंजी घर नबीनगर	05–06	2515	1250	350/29.03.05	1265	मुन्ना अलि
2	तदैव	06–07	2530	1530	383/30.03.06	1000 2,265	मुन्ना अलि

बन्दोबस्ती धारक या जिम्मेदार व्यक्तियों से 2,265.00 रू0 की वसूली की जाय तथा नगर पंचायत निधि में जमा किया जाय।

(ख) मुद्रांक शुल्क (मुद्रांक) की वसूली नहीं

मुख्य सचिव, बिहार सरकार, के पत्रांक 1920/नि/मु0स0 दिनांक 14.08.02 तथा सचिव सह निबंधन महानिरिक्षक, बिहार के पत्रांक 549 दिनांक 15.03.05 के अनुसार बन्दोबस्ती करने से पूर्व बन्दोबस्ती की राशि पर 3% की दर से देय मुद्रांक शुल्क मुद्रांक के रूप में बन्दोवस्ती कराने वाले से लेकर उसी पर बन्दोबस्ती की शर्ते लिखकर निर्गत की जाय।

परन्तु अंकेक्षण में यह पाया गया कि न तो मुद्रांक का उपयोग किया गया न ही मुद्रांक शुल्क की वसूली की गई। फलस्वरूप सरकार को कुल 11,675.00 रू0 की मुद्रांक शुल्क के रूप में राजस्व की हानि हुई जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है:–

क्रम सं0	वर्ष	शैरातों का नाम	बन्दोबस्ती की राशि	3: मुद्रांक की राशि	बन्दोबस्ती धारक का नाम
1	2007–08	सरकारी वाहनों दैनिक पड़ाव शुल्क वसूली	97,100	2913	श्री विनय सिंह
	2008–09	– तदैव –	131000	3930	– तदैव –
2	2007–08	अस्थाई दुकानदारों से दैनिक टॉल वसूली	73000	2190	श्री पप्पु सिंह
	2008–09	– तदैव –	82100	2463	– तदैव –
3	2007–09	काँजी घर	2910	87	मुस्तफा
	2008–09	– तदैव –	3050	92	– तदैव –
			कुल–	**11,675**	

इस प्रकार मुद्रांक शुल्क के रूप में राजस्व की हानि कुल 11,675.00 रू0 की वसूली जिम्मेदार व्यक्तियों की जाय तथा अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

22. विचलन एवं दुर्विनियोजन (बारहवीं वित्त)

बारहवीं वित्त की अनुदान राशि से सफाई कार्य हेतु कुल रू0 1,92,000.00 का अग्रिम प्रदान किया गया था, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

क्रम सं0	दिनांक	प्रमाणक सं0	चेक सं0	राशि	विवरण
1	03.07.07	वर्णित नहीं	058885	1,00000.00	श्री राधव प्रसाद अग्रवाल प्रधान सहा0सह लेखापाल
2	28.12.07	,,	058894	92,000.00	– तदैव –
			कुल–	**1,92,000.00**	

ध्यातव्य है कि सफाई कार्य नगर पंचायत द्वारा किया जाने वाला सामान्य कार्य था। बारहवीं वित्त की अनुदान राशि से इस प्रकार की सफाई का कोई प्रावधान नहीं था। इस प्रकार, बारहवीं वित्त की अनुदान राशि कुल रू0 1,92,000.00 का नगर पंचायत निधि हेतु विचलन कर दिया गया। उक्त विचलित राशि बारहवीं वित्त निविदाक दिनांक– 31.03.08 तक नहीं जमा किया गया था।

आगे, उक्त अग्रिमों के समायोजन से संबद्ध मस्टर रॉल (अभिश्रव सं0– 2008–09 राशि रू0 31,050/– तथा अभिश्रव सं0 21/2008–09 राशि रू0 1500) की संवीक्षा में पाया गया कि मजदूरों का हस्ताक्षर एवं बायें **अँ**गूठे का निशान संदेहास्पद था। एक विशेष मजदूर समूह द्वारा सारा सफाई कार्य किये जाने से संबंधित मस्टर रॉल में एक ही नाम के मजदूर का हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान मस्टर रॉल के भिन्न–भिन्न पृष्ठों पर भिन्न–भिन्न प्रकार का था। आगे यह पाया गया कि प्रथम अग्रिम मिलने से पहले ही कार्य शुरू हो चुका था (संचिका एवं मस्टर रॉल के अनुसार)। मस्टर रॉल के प्रत्येक पृष्ठ पर भुगतानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था। अग्रिमों के समायोजन से संबद्ध सभी प्रमाणकों को अगले अंकेक्षण में भी प्रस्तुत किया जाय। इस प्रकार, कुल रू0 1,92,000.00 के अग्रिम भुगतान के दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट कराते हुए अनुरोध है कि मामले की सम्यक **जाँच**परांत कानून सम्मत् कार्रवाई करते हुए स्थानीय लेखा परीक्षक बिहार को सूचित किया जाय। तब तक कुल रू0 1,92,000.00 के अग्रिम को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

23. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत अनुदान का विचलन

(क) रॉयल्टी एवं बिक्री कर से संबद्ध संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि विभिन्न योजनाओं के अंतिम विपत्रों से निम्नानुसार रॉयल्टी एवं बिक्री कर की कटौती की गई थीः–

	बिक्री कर (रू0)	रॉयल्टी (रू0)
राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम	34,834.00	21,646.00
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	11,343.00	10,676.00
एकादश वित्त	36,589.00	18,952.00
कुल–	**82,766.00**	**51,274.00**

उक्त कटौतियों की राशि को दिनांक 27.03.08 को राज्य सरकार के संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा करने हेतु व्यय की प्रविष्टि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के रोकड़ बही में दर्ज पायी गयी। इस प्रकार, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की अनुदान राशि से कुल रू0 1,12,021.00 (82,766 +51,274 –11343 –10676) का विचलन रा0गं0ब0वि0कार्यक्रम एवं एकादश वित्त में किया गया। उक्त विचलन की प्रतिपूर्ति रा0गं0ब0वि0कार्यक्रम एवं एकादश वित्त की अनुदान राशि (यदि अवशेष हो) से अथवा नगर पंचायत निधि से किया जाय।

(ख) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की अनुदान राशि से ऐसे भुगतान भी किये गए थे, जिनका व्यय का प्रावधान उक्त योजना में नहीं था। विवरण निम्नवत् हैः–

क्रम सं0	दिनांक	प्रमाणक सं0	चेक संख्या	राशि	विवरण
1	15.04.05	वर्णित नहीं	वर्णित नहीं	4988.00	श्री मनोज कुमार को बी0पी0एल0 सर्वे हेतु
2	17.10.07	,,	058888	4669.00	जागरण प्रकाशन लिमिटेड
3	28.12.07	,,	058893	4668.00	– तदैव –
4	22.02.08	,,	228712	5040.00	– तदैव –
5	04.03.08	,,	229542	3000.00	नव बिहार टाइम्स, औरंगाबाद
			कुल–	**22,365.00**	

इस प्रकार, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की अनुदान राशि रू0 22,365.00 का विचलन अन्य मद में कर दिया गया। क्रम सं0– 1,4 एवं 5 में वर्णित भुगतानों से संबंधित आदेश एवं अभिश्रव अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय एवं कुल रू0 22,365.00 की विचलित राशि की प्रतिपूर्ति की जाय। तब तक रू0 22,365.00 के भुगतान को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

24. असमायोजित अग्रिम/ विचलन (स्वर्ण जयंती श0रो0यो0)

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की रोकड़ बही की संवीक्षा में पाया गया कि कुल 1 लाख रू0 का अग्रिम डी0पी0 आर तैयार करने हेतु मेसर्स बी0के0 एसोसिएट्स, पटना को प्रदान किया गया था। विवरण निम्नवत् है:–

क्रम सं0	दिनांक	चेक सं0	राशि (रू0)
1	23.08.07	058886	50,000.00
2	26.11.07	058889	50,000.00
		कुल–	**1,00,000.00**

उपरोक्त अग्रिमों का समायोजन दिनांक 31.03.08 तक नहीं किया गया था। उक्त अग्रिम का समायोजन कर समायोजन विपत्र अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय। आगे यह पाया गया कि डी0पी0आर0 हेतु सरकार से कुल 25,000.00 रू0 की अनुदान राशि नगर पंचायत को दिनांक 22.11.06 को प्राप्त हुई थी जिसे स्वर्ण जयंती शहरी रो0यो0 के रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष में दर्ज किया गया था। परंतु कुल रू0 25,000/– की अनुदान राशि के विरूद्ध नगर पंचायत द्वारा डी0पी0आर0 हेतु कुल रू0 1 लाख का अग्रिम भुगतान किया गया था।

इस प्रकार, स्वर्ण जयंती श0रो0यो0 की 75,000.00 रू0 (1,00000 – 25,000) की अनुदान राशि का विचलन डी0पी0आर0 हेतु किया गया था। कुल रू0 75,000.00 की विचलन की प्रतिपूर्ति नगर पंचायत निधि से किया जाय।

19

25. राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम (आवास योजना)

रा0गं0ब0वि0का के अंतर्गत वर्ष 2005–06 पत्रांक न0वि0वि0 252 दि0 10.05.05 के माध्यम से नगर पंचायत नबीनगर को कुल रू0 6,66,000.00 की अनुदान राशि प्राप्त हुई थी। भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुसार प्राप्त अनुदानों की दस प्रतिशत राशि आवास योजना पर खर्च किये जाने का प्रावधान है। परन्तु, नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक एक भी आवास योजना का कियान्वयन नहीं किया गया था। ध्यातव्य है कि दिनांक 31.03.08 को उक्त योजना में मात्र रू0 6,845.00 का अवशेष था।

इसप्रकार, आवास योजना के निर्मित राशि रू0 66600 का अन्य प्रयोजन के लिए विचलन किया गया साथ ही गरीबों के लिए आवास का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।

26. योजना का संदेहास्पद कियान्वयन/ अधिक भुगतान

योजना संख्या–	01/06–07 (सहाय्य अनुदान–पथों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु)
योजना का नाम	अनुराग राइस मिल्स से महिप बिद्या तक पी0सी0सी0 कार्य।
प्राक्कलित राशि	रू0 10,41,000.00
मापी पुस्त	रू0 10,63,143.00
मस्टर रॉल एवं अभिश्रव	10,41,042.00 रू0
योजना पर कुल व्यय	(i) अभिकर्त्ता को भुगतान रू0 9,54,450.00
	(ii) कर कटौती एवं अन्य कटौती 86,550.00
	कुल–10,41,000.00
अभिकर्त्ता का नाम–	श्री सत्येन्द्र प्रसाद सिंह, टैक्स दारोगा

(क) सीमेंट की खरीद दरों में अन्तर के कारण अधिक भुगतान

प्राक्कलन में सीमेंट की दर 143.00 रू0 प्रति बोरा निर्धारित की गयी थी। संचिका एवं अभिश्रवों के अवलोकन से पता चला कि 900 बोरा सीमेंट 182.00 रू0 प्रति बोरा की दर से तथा 180 बोरा सीमेंट 153.00रू0 प्रति बोरा तथा शेष 143.00 रू0 प्रति बोरा की दर से भुगतान हुआ। इस प्रकार दरों में अन्तर के कारण अभिकर्त्ता को कुल रू0 36,900.00 { 900 x (182 – 143) + 180 x (153 – 143)} का अधिक भुगतान हुआ जिसकी वसूली संबंधित अभिकर्त्ता अथवा उत्तरदायी व्यक्ति से की जाय एवं वसूली गई राशि को नगर पंचायत निधि में जमा किया जाय।

(ख) मस्टर रॉल देखने से पता चला कि उसमें अंकित तिथियों में अनेक जगह सफेदी द्रव (White fluid) का प्रयोग किया गया था। उदाहरण के तौर पर मस्टर रॉल के पृष्ठ संख्या 33 में कार्यदिवस दिनांक 16.02.07 से 20.02.2007 अंकित था जबकि उसी मस्टर रॉल पर वार्ड आयुक्त तथा अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर की तिथि 20.09.07 थी एवं योजना दिनांक 30.05.07 (मस्टर रॉल का अंतिम कार्य दिवस 25.05.07) को पूर्ण किया जा चुका था। यह संदेहास्पद प्रतीत होता हैं। ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रकार की अनियमितताओं की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

सक्षम प्राधिकारी अपने स्तर इस मामले की **जॉच** की व्यवस्था करे एवं उस पर उचित कारवाई की जाय।

(ग) योजना संचिका के नोट सीट के तरफ केवल कार्यपालक पदाधिकारी एवं अध्यक्ष का हस्ताक्षर था। इसमें किसी लेखापाल या किसी सहायक या किसी स्टाफ का हस्ताक्षर नहीं पाया गया। इसका कोई कारण अंकेक्षण को नहीं बताया गया।

इसे अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाय।

27. संदेहास्यपद कार्य

योजना का नाम	पी0 डब्लू0डी0 पथ से रेफरल अस्पताल तक मिट्टी मोरम पथ का निर्माण 11/04–05
प्राक्कलित राशि	1,00,000.00 रू0
भुगतान की राशि	92,663.00 रू0
अभिकर्त्ता का नाम–	श्री सत्येन्द्र प्रसाद सिंह, टैक्स दारोगा

मस्टर रॉल के अनुसार कार्य दिवस	राशि
05.01.05 से 10.01.05 (108 x 68)	7344.00
12.01.05 से 17.01.05 (107 x 68)	7276.00
19.02.05 से 24.02.05 ,,	7276.00
26.02.05 से 31.02.05 ,,	7276.00

अंकेक्षण टिप्पणी

मस्टर रॉल के अवलोकन से यह पाया गया कि कार्य दिनांक 29.02.05 से 31.02.05 तक की अवधि में भी हुआ जो असंभव है। अतः इस अवधि में किया गया कुल व्यय 3,672.00 (54 x 68) की वसूली अभिकर्त्ता से की जाय।

पुनः यह कार्य की विश्वसनीयता भी संदेह के घेरे में आती है। अतः प्राधिकारी अपने स्तर से इस मामले की जॉच कर उसपर उचित कारवाई की जाय।

28. दोषपूर्ण प्राक्कलन के कारण अधिक भुगतान

योजना संख्या–	06/2005–06 (स्वर्ण जयंती श०रो०यो०)
योजना का नाम	लखन सोनी के घर से उत्तर कर्मदेव सिंह के मकान तक ईंट सोलिंग पुनपुन तट होते हुए।
प्राक्कलित राशि	रू0 51,000.00
मापी पुस्त के अनुसार कार्य का मूल्य	रू0 51,718.00
योजना में अभिकर्त्ता को कुल भुगतान	रू0 48,070.00
कर कटौती	2930.00
योजना पर कुल व्यय	रू0 51,000.00
अभिकर्त्ता का नाम–	श्री सत्येन्द्र प्रसाद सिंह, टैक्स दारोगा

(18)

अंकेक्षण टिप्पणी:–

प्राक्कलन में 100 फीट लंबाई हेतु मिट्टी कटाई एवं भराई, बालू भराई, किनारे पर ईंट सोलिंग (1:4) एवं ईंट सोलिंग की कुल प्राक्कलित राशि रू0 11,499.00 दर्शाया गया था।

प्राक्कलन के अंत में उक्त योजना 400 फीट लंबी होने के कारण रू0 11,499. 00 को चार गुणा किया गया था। परंतु, चार गुणा करने पर कुल प्राक्कलित राशि रू0 45,996.00 (11499 x 4) होनी चाहिए थी, जिसे रू0 51,745.00 दर्शाकर अंततः रू0 51,000/– तक सीमित करते हुए सहायक अभियंता द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्राक्कलन पर संबंधित कनीय अभियंता का हस्ताक्षर पाया गया।

इस प्रकार, दोषपूर्ण प्राक्कलन के कारण उक्त योजना में कुल रू0 5004.00 (51000–45996) का अधिक भुगतान हुआ। कुल रू0 5004.00 की वसूली अभिकर्त्ता अथवा उत्तरदायी अभियंताओं से की जाय।

29. हस्त रसीद पर भुगतान

क्रियान्वित पूर्ण योजनाओं के नमूना **जाँच** में पाया गया कि योजना कार्य में व्यवहृत विनिर्माण सामग्रियों एवं लघु खनिजों की खरीदगी से संबंधित भुगतान हस्त रसीद पर किया गया। विवरण निम्नवत् है:–

कम सं0	**योजना सं0/योजना की प्रकृति**	**दिनांक**	**राशि (रू0)**	**विवरण**
1	03/05–06 (रा0गं0ब0वि0का)	06.03.06	7500.00	श्री तपेश्वर राम को बालू हेतु भुगतान।
2	,,,	,,,	8400.00	श्री मनीष कुमार को ईंट ढुलाई हेतु ट्रैक्टर भाड़ा
3	02/05–06 (स्वर्ण जयंती श0रो0यो0)	12.03.06	2660.00	विमलेश कमार को बालू हेतु भुगतान
4	,,,	,,,	5250.00	रंजन कुमार सिंह ट्रैक्टर मालिक

				को ईंट भाड़ा का भुगतान
5	05/05–06 (स्वर्ण ज0 श0रो0यो0)	09.04.06	3000.00	– तदैव –
6	,,,	14.04.06	3122.00	बिमलेश कुमार गाड़ी मालिक को बालू भाड़ा का भुगतान
7	04/05–06 (रा0गं0ब0वि0का)	05.03.06	3000.00	श्री तपेशा रजक को बालू हेतु भुगतान।
8	,,	05.03.06	3600.00	श्री रंजन कुमार सिंह गाड़ी मालिक को ईंट ढुलाई का भाड़ा।
9	03/05–06 (स्वर्ण ज0 श0रो0यो0)	07.04.06	4709.00	श्री बिमलेश कुमार को बालू हेतु भुगतान।
10	,,	07.04.06	6000.00	श्री रंजन कुमार सिंह को ईंट भाड़ा का भुगतान।
		कुल योग–	रू0 47241.00	

ध्यातव्य है कि हस्त रसीदों पर किया गया भुगतान अग्रिम माना जाता है। अतः उक्त भुगतानों से संबद्ध अभिश्रव/ प्रमाणक अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जायें। तबतक कुल रू0 47,241.00 के भुगतान को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

30. अविवेकपूर्ण अधिक निकासी

नगर पंचायत निधि से संबद्ध बैंक पासबुक की संवीक्षा में पाया गया कि कुल रू0 35,027.00 की निकासी बैंक से की गई थी, परन्तु संबंधित भुगतान की प्रविष्टि तत्काल रोकड़ बही में नहीं की गई थी। निकासी का विवरण निम्नवत् है:–

16.

क्रम सं0	दिनांक	चेक सं0	राशि (रू0)
1	29.01.08	00791165	18,027.00
2	29.01.08	00791164	10,000.00
3	08.03.08	00791176	7,000.00
		कुल–	**35,027.00**

आगे यह पाया गया कि उक्त निकासी के विरूद्ध कुल रू0 34,758.00 की भुगतान की प्रविष्टि रोकड़ बही में दर्ज थी, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

(i) चेक सं0– 00791165, राशि रू0 18,027.00 के विरूद्ध

क्रम सं0	अभिश्रव सं0	दिनांक	राशि	भुगतान का विवरण
1	वर्णित नहीं	29.01.08	10,969.00	बी0पी0एल0सर्वे में लगे व्यक्तियों को
2	,,	,,	5805.00	,,
3	,,	05.07.08	475.00	,,
4	,,	25.07.08	778.00	,,
		कुल–	**18,027.00**	

(ii) चेक सं0– 00791164 दिनांक, राशि रू0 10,000.00 के विरूद्ध

क्रम सं0	अभिश्रव सं0	दिनांक	राशि	विवरण
1	वर्णित नहीं	29.01.08	9812.00	बी0पी0एल0सर्वे में लगे व्यक्तियों को

(iii) चेक सं0– 00791176, दिनाक 08.03.08राशि रू0 7000.00 के विरूद्ध

कम सं0	अभिश्रव सं0	दिनांक	राशि	भुगतान का विवरण
1	वर्णित नहीं	26.02.08	6268.00	बी0पी0एल0सर्वे में लगे व्यक्तियों को
2	,,	,,	651.00	– तदैव –
		कुल–	**6919.00**	
		कुल योग रू0	**34,758/– (18027 +9812+6919)**	

इसप्रकार, कुल रू0 269.00 (35027 – 34758) की अधिक निकासी की गई थी। इस संबंध में आपत्ति किये जाने पर श्री राघव प्रसाद अग्रवाल, लेखापाल द्वारा अंकेक्षण के दौरान रू0 269.00 को दिनांक 21.03.09 को विविध रसीद सं0 91 के माध्यम से नगर पंचायत निधि में जमा कर दिया गया।

भविष्य में चेक से निकासी के समय ही भुगतान की प्रविष्टि रोकड़ बही में चेक सं0 एवं अभिश्रव सं0 सहित की जाय एवं इसप्रकार की राशि के वितरण/भुगतान हेतु सहायक रोकड़ बही का संधारण कर उसमें अवशेष राशियों को भी नियमित रूप से दर्ज किया जाय।

31. ट्रेजरी चालान की अप्रस्तुती

रॉयल्टी एवं बिक्री कर से संबद्ध संचिका के **जॉच** के कम में पाया गया कि कुल रू0 1,36,344.00 को रॉयल्टी मद में एवं रू0 1,80,090.00 को बिक्री कर मद में राज्य सरकार के संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा करने हेतु नगर पंचायत द्वारा चेक निर्गत किये गए थे जिसका विवरण निम्नवत् है:–

(क) जिला खनन पदाधिकारी को

कम सं0	राशि (रू0)	दिनांक	चेक सं0
1	70,844.00	27.03.08	229549
2	65,500.00	27.03.08	057491
कुल–	**1,36,344.00**		

(ख) उपायुक्त, वाणिज्यकर को

कम सं0	राशि (रू0)	दिनांक	चेक सं0
1	50,000.00	27.03.08	229546
2	50,000.00	– तदैव–	229547
3	6,400.00	– तदैव–	229548
4	50,000.00	– तदैव–	057489
5	23,690.00	– तदैव–	057490
कुल–	**1,80,090.00**		

उपरोक्त राशियों के राज्य सरकार के संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा करने से संबंधित ट्रेजरी चालान/प्राप्तकर्त्ता का प्रमाण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसकारण उक्त राशियों के राज्य सरकार के संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा होने की वास्तविकता की **जाँच** नहीं की जा सकी। ट्रेजरी चालान/प्राप्तर्कर्त्ता का प्रमाण अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

32. राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यकम में रू0 27500.00 की हानि

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 715/2005–06 के कंडिका सं– 19 के अनुसार रा0गं0ब0वि0का0 के योजना सं0– 2/2000–01 में दास मोहल्ला में चापाकल निर्माण करना था, जिसकी प्राक्कलित राशि रू0 39,500.00 थी एवं इस योजना के लिए श्री

महेश्वर राम, क0अ0, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, नबीनगर को अभिकर्त्ता नियुक्त किया गया था। इस योजना के लिए श्री राम को कुल रू0 27,500.00 अग्रिम प्रदान किया गया था, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

कम सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि (रू0)
1	440588	02.02.01	7500.00
2	440595	07.04.01	20,000.00
		कुल–	**27,500.00**

यह योजना स्थगित कर दी गयी थी एवं अभिकर्त्ता को अग्रिम की राशि रू0 27,500 को लौटाने का आदेश दिया गया था। जिसके संबंध में नगर पंचायत द्वारा श्री राम को ज्ञापांक 69 दिनांक 07.07.01, 83 दिनांक 14.07.01, 52 दिनांक 04.04.02, 97 दिनांक 06.08.01 तथा 123 दिनांक 09.09.02 के द्वारा राशि वापस करने की सूचना दी गयी थी। इसके अलावा पत्रांक 96 दिनांक 04.04.02 के द्वारा जिलाधिकारी, औरंगाबाद को भी सूचित किया गया था। जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद ने पत्रांक 2525 दिनांक 03.09.02 को तत्कालीन विशेष पदाधिकारी नगर पंचायत, नबीनगर को आदेश दिया था कि यदि योजना अपूर्ण है तो इस योजना के अभिकर्त्ता श्री महेश्वर राम, क0अ0 लोक स्वास्थ्य, अभि0 विभाग के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अनुपालन प्रतिवेदन तीन दिनों के भीतर योजना सुनिश्चित करें साथ ही वसूलनीय राशि हेतु सर्टिफिकेट वाद भी दायर करें।

आगे, पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा पत्रांक 106 दिनांक 24.08.05 के द्वारा कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल औरंगाबाद को पत्र दिया गया था जिसमें श्री महेश्वर राम, क0अभि0 का स्थानांतरण के पश्चात् वर्तमान कार्यालय का पता **माँग** गया था। परंतु, अंकेक्षण की तिथि तक इसका जवाब प्राप्त नहीं हुआ था। अंकेक्षण की समाप्ति (मार्च 2009) तक श्री राम के विरूद्ध न तो प्राथमिकी दर्ज की गई

थी, न ही प्रामाण पत्र वाद दायर किया गया था। रू0 27500 अविलम्ब श्री महेश्वर राम, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन ने वसूल किया जाय।

33. अनियमित नियुक्ति

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 715/2005–06 की कंडिका सं0– 23 के अनुसार श्री राघव प्रसाद अग्रवाल की नियुक्ति प्रधान सहायक सह लेखापाल के पद पर की गयी थी। इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता थी गणित अथवा वाणिज्य स्नातक पास। लेकिन श्री अग्रवाल किसी भी विषय में स्नातक पास नहीं थे। अतः इस पद पर उनकी नियुक्ति गलत थी।

वर्ष 2005–06 से मार्च 2009 (अंकेक्षण की तिथि) तक इसी पद पर कार्यरत थे। अंकेक्षण के दौरान प्रतिवेदन सं0 715/2005–06 से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया था। परंतु कंडिका सं0– 23 (अनियमित नियुक्ति) के अनुपालन में कोई मन्तव्य नहीं दिया गया था। अतः इस मामले पर सरकार का ध्यान विशेष रूप से एक बार पुनः आकृश्ट करते हुए उचित कर्रवाई का अनुरोध किया जाता है।

34. अभिलेख/ प्रमाणक की अप्रस्तुती

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत कुल रू0 1,34,000 का भुगतान कृषि उद्योग एजुकेशन एवं हेल्थ सेवा संस्थान समस्तीपुर को प्रशिक्षण कार्य हेतु किया गया था। भुगतान का विवरण निम्नवत् हैः–

कम सं0	दिनांक	चेक सं0	राशि (रू0)	विवरण
1	30.11.07	058890	30,00.00	अग्रिम भुगतान
2	28.12.07	058892	40,000.00	– तदैव –
3	21.02.08	228713	64,000.00	अंतिम भुगतान
		कुल–	134,000.00	

उपरोक्त भुगतानों से संबद्ध अग्रिम पंजी, संचिका आदि अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। कम सं0–3 मं वर्णित कुल रू0 64,000.00 के अंतिम भुगतान से संबद्ध प्रमाणक एवं समायोजन विपत्र भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए। प्रशिक्षण में

लाभार्थियों की सूची भी अनुपलब्ध थी। इसप्रकार रू0 1,34,000.00 के भुगतान की वास्तविकता की जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त अभिलेखों को अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय। तबतक कल रू0 1,34,000.00 के भुगतान को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

35. अपूर्ण योजनाओं में बकाया अग्रिम

विभिन्न योजनाओं से संबंधित योजना पंजी की संवीक्षा में पाया गया कि दिनांक 31.03.08 तक नगर पंचायत की कुल 35 योजनाएँ अपूर्ण थीं। कुल 35 योजनाओं में से 13 योजनाएँ वर्ष 2005–06 में, 04 योजनाएँ वर्ष 2006–07 में एवं 18 योजनाएँ वर्ष 2007–08 में प्रारंभ की गई थीं। इस प्रकार कई योजनाएँ दो वर्ष से अधिक पुरानी थीं ध्यातव्य है कि योजनाओं का कियान्वयन में अनावश्यक विलम्ब करने से योजनाओं का उद्देश्य जाता रहता है।

कुल 35 अपूर्ण योजनाओं में दिनांक 31.03.08 तक रू0 17,31,750.00 बकाया अग्रिम के रूप में पड़े हुए थे। अतः कुल रू0 17,31,750.00 के अग्रिम के समायोजन हेतु त्वरित कर्रवाई की जाय।

(विस्तृत परिशिष्ट– IV पर)

36. असमायोजित अग्रिम (नगर पंचायत निधि)

नगर पंचायत निधि से संबद्ध अग्रिम पंजी एवं रोकड़ बही की संवीक्षा में पाया गया कि दिनांक 31.03.08 तक कुल रू0 69,669.10 विभिन्न व्यक्तियों के पास बकाया अग्रिम के रूप में पड़े हुए थे। विवरण निम्नवत है:–

कम सं0	01.04.05को अग्रिम का अथशेष	वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक प्रदान किये गए अग्रिम	कुल अग्रिम	वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक समायोजित अग्रिम	31.03.08 तक असमायोजित अग्रिम	कर्मचारी का नाम
1	8565.10	शून्य	8565.10	शून्य	8565.10	श्री राघव प्रा0 अग्रवाल लेखापाल
2	45,104.00	शून्य	45,104.00	शून्य	45,104.00	श्री यमुना प्रसाद, सफाई जमादार
3	500.00	1500.00	15500.00	शून्य	15,500.00	श्री सत्येन्द्र प्र0 सिंह, टैक्स दारोगा
4	500.00	शून्य	500.00	शून्य	500.00	श्री सूरज देव राम, ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक
		कुल–	69,669.10		69,669.10	